(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

DELHI SACHIVALAYA, I.P.ESTATE, NEW DELHI-110002

No. F.3(22)/Fin(Rev-I)/ DS-I/467 Dated: 17.05.2026

NOTIFICATION

Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendment(s) in the Fourth Schedule appended to the said Act, namely:-

AMENDMENT

1. In the Fourth Schedule, in the Table, against Entry at Serial No. 14 relating to "Aviation Turbine Fuel (ATF)", in the column pertaining to rate of tax:-

for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"

SI.No.	Description of Goods	Rate of Tax
14.	Aviation Turbine Fuel (ATF)	7 paisa in the rupee

".

This notification shall remain in force for a period of six months commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(MANGEJ SINGH)
DY. SECRETARY-I (FINANCE)

No. F.3(22)/Fin(Rev-I)/DS-I/467 Dated: 17.05.2026

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date;
2. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi;
3. Pr. Secy. (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I,P. Estate, New Delhi-110002;
4. Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi;
5. Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi;
6. The Commissioner, Value Added Tax, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002;
7. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, LP. Estate, New Delhi;
8. The Secretary to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt., Delhi;
9. The P.A. to Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly, Old Sectt., Delhi;
10. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I,P. Estate, New Delhi;
11. The Registrar, Delhi Value Added Tax Appellate Tribunal, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New V Delhi
12. VAT Officer (Policy), Department of Trade and Taxes, Government of NCT of Delhi, Vyapar Bhawan, New Delhi;
13. Guard File;
14. Website.

(MANGEJ SINGH)
DY. SECRETARY-I (FINANCE)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट : नई दिल्ली-110002

फा0सं0 3(22)/ वित्त(राज0-I)/ डी एस-I/467 दिनांक: 17.05.2026

अधिसूचना

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अब इसलिए, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम से संलग्न चौथी अनुसूची में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन :

1. चौथी अनुसूची की तालिका में क्रम संख्या 14 की प्रविष्टि के सामने कर की दर से संबंधित कॉलम में "विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)" से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"

क्र0सं0	माल का विवरण	कर की दर
14	विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)	7 पैसा रुपये में

".

यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से छः माह की अवधि के लिए ही प्रभावी रहेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त-I)

फा0सं0 3(22)/ वित्त(राज0-I)/ डी एस-I/467 दिनांक: 17.05.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-:

1. प्रधान सचिव (सा0प्रशा0वि0) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को इस अनुरोध के साथ आज की तिथि में दिल्ली राजपत्र भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशन हेतु अनुलिपि में ।
2. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधान सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-11002।
4. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।

5. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
7. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. नि.स , नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
10. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली ।
11. पंजीयक, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
12. वैट अधिकारी (नीति), व्यापार एवं कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, व्यापार भवन, नई दिल्ली ।
13. गार्ड फ़ाइल ।
14. वेबसाइट।

मंगेज सिंह

(मंगेज सिंह)
उप-सचिव (वित्त-I)